[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क (एसजी)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ) . – केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (1) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षापाय शुल्क पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 12, नियम 14 और नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2018 सीमाशुल्क(एसजी), तारीख 30 जुलाई, 2018 जो सा.का.नि. सं. 717(अ) तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में "टैरिफ मद 8541 40 11" शब्द और अंक जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "टैरिफ मद 8541 40 11 और 8541 40 12" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 01/2018-सीमाशुल्क(एसजी), तारीख 30 जुलाई, 2018 सा.का.नि. सं. 717(अ) तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।